

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

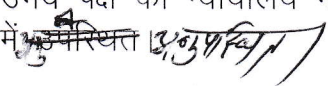
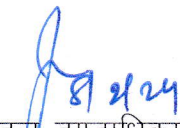
सं 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — इन्द्रदेव साहुबगैरह ।

बनाम

वाद सं0 65/2023

द्वितीय पक्ष — रविशंकर प्रसाद,..... बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 14/2023 दिनांक 09/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) इन्द्रदेव साहु उम्र 58 वर्ष पिता स्व० बालचंद साहु, (2) प्युस रंजन उम्र 19 वर्ष पिता इन्द्रदेव साहु (3) अनिता कुमारी, उम्र 52 वर्ष पति इन्द्रदेव साहु (4) ओम प्रकाश साहु उम्र 45 वर्ष पिता स्व० रामटहल साहु (5) सरद कुमार साहु उम्र 40 वर्ष पिता स्व० रामटहल साहु (6) कृष्णा कुमार साहु उम्र 35 वर्ष पिता स्व० रामटहल साहु सभी ग्राम कामडारा, थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) रविशंकर प्रसाद उम्र 35 वर्ष पिता नागेश्वर प्रसाद, (2) त्रुतंभरा सुमन उम्र 55 वर्ष पति नागेश्वर प्रसाद सभी ग्राम कामडारा थाना कामडारा, जिला गुमला के कामडारा थाना रिसीट सं० 99— 100/023 दिनांक 03/07/2023 जमीनी विवाद को लेकर विवाद एवं तनाव बना है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। उभय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित  उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	